न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3705–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–10–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर प्रकरण कमांक 281/अपील/2012–13.

बनेसिंह पिता मोतीसिंह राजपूत
निवासी ग्राम खड़ौत्या
तहसील देपालपुर जिला इन्दौर .....आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती सौरमबाई पति अंतरसिंह
2– गोवर्धनसिंह पिता भेरूसिंह
निवासीगण ग्राम खड़ौत्या
तहसील देपालपुर जिला इन्दौर ..... अनावेदकगण

श्री अरविन्द सोनकर, अभिभाषक, आवेदक
श्री कोस्तुम पाठक, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/7/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–10–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा नामांतरण पंजी कमांक 40/91–92 में पारित आदेश दिनांक 2–5–1992 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी,

देपालपुर जिला इन्दौर के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 12–12–2012 को इस आधार पर प्रस्तुत की गई कि ग्राम खड़ौत्या स्थित भूमि सर्वे कमांक 80/1 रकबा 5.80 एकड़ उसके द्वारा दिनांक 26–6–1984 को अनावेदक कमांक 2 गोवर्धन सिंह से कय कर ली थी, परन्तु उसके द्वारा रजिस्ट्री नहीं किये जाने के कारण द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, इन्दौर के समक्ष दी.प्र.क. 45 ए/88 प्रस्तुत किया गया था, जिसमें व्यवहार न्यायालय द्वारा दिनांक 22–8–1990 को आदेश पारित कर आवेदक को भूमिस्वामी घोषित किया गया है । आवेदक का प्रश्नाधीन भूमि पर वर्ष 1986 से निरंतर कब्जा चला आ रहा है, परन्तु अनावेदिका कमांक 1 द्वारा पटवारी से मिलकर दिनांक 2–5–1992 को अपना नामांतरण करा लिया गया है, अतः उक्त आदेश निरस्त किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नामांतरण किया जाये। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 18/अपील/2012–13 दर्ज किया जाकर दिनांक 26–3–2013 को आदेश पारित कर नामांतरण पंजी कमांक 40/1991–02 में पारित आदेश दिनांक 2–5–1992 निरस्त किया गया एवं प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर अनावेदिका कमांक 1 द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 17–10–2014 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये :–

(1) अधीनस्थ न्यायालय तहसीदार, तहसील देपालपुर द्वारा पारित आलोच्य आदेश जो कि खसरा नकल अनुसार नामांतरण पंजी पर पारित किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि नामांतरण के नियमों के विपरीत जाकर बिना हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान किये किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दाविया भूमि पर पूर्व में अनावेदक कमांक 2 का नाम दर्ज था तथा उसके पश्चात आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2 के मध्य प्रचलित व्यवहार वाद कमांक 45 ए/88 में द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, इन्दौर के द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक

22–8–1990 से आवेदक को दाविया भूमि का स्वामी एवं आधिपत्यधारी घोषित किया गया है, जिसकी जानकारी भी तत्समय हल्का पटवारी को दी गई थी । नामांतरण में स्वत्व हस्तांतरण होने पर हल्का पटवारी अथवा तहसीलदार को सूचना दी जाना होती है, जो कि आवेदक द्वारा दी गई थी, किन्तु त्रुटिवश तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा राजस्व अभिलेखों में आवेदक का नाम दर्ज नहीं किया गया, जिसका अवैधानिक फायदा उठाते हुए अनावेदिका कमांक 1 के पति अंतरसिंह द्वारा तत्कालीन हल्का पटवारी से संगनमत होकर बिना किसी पंजीकृत दस्तावेज, व्यवहार न्यायालय के निर्णय डिक्री व अन्य ऐसे दस्तावेज जिससे राजस्व अभिलेखों में नामांतरण किया जाता है, प्रस्तुत किये बिना नामांतरण करवाया गया है, जिसकी जानकारी आवेदक को होने पर उसके द्वारा उक्त आलोच्य पंजी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । प्रमाणित प्रति बावद आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर ज्ञात हुआ कि ऐसी कोई पंजी रिकार्ड शाखा में जमा ही नहीं है, तब संहिता की धारा 48 के आवेदन पत्र के साथ अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें विधिवत अनावेदिका कमांक 1 को सुनने का अवसर प्रदान करते हुए आदेश पारित किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश को निरस्त करते हुए अपर आयुक्त द्वारा आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो कि निरस्ती योग्य है ।

(2) तहसीलदार द्वारा पारित प्रमाणीकरण पंजी आदेश का रिकार्ड तहसील देपालपुर में उपलब्ध नहीं है । अनावेदिका कमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के समक्ष यह नहीं बताया गया है कि उसका नाम किस आधार पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ है, न ही यह बताया गया है कि उसके द्वारा दाविया भूमि अनावेदक कमांक 2 अथवा डिक्रीधारी आवेदक से क्रय की है । इस तरह बिना किसी आधार के या अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज होने से राज्य शासन को भी राजस्व की हानि पहुंची है । इन तथ्यों को भी दृष्टिओझल करते हुए अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य न होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) अनावेदिका कमांक 1 के पति अंतरसिंह द्वारा व्यवहार न्यायाधीश देपालपुर के समक्ष तथाकथित इकरारनामा लेख के आधार पर स्पेसिफिक परफार्मेंस एक्ट के तहत आवेदक के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया है, जिससे स्पष्ट होता है कि यदि कोई लेख था तो भी आवेदक

व अनावेदक कमांक 1 के पति के मध्य था । उस लेख के आधार पर अनावेदिका कमांक 1 का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं किया जा सकता था, वह लेख भी अपंजीकृत लेख है। उक्त व्यवहार वाद में अनावेदिका कमांक 1 के पति के पक्ष में व्यवहार न्यायाधीश देपालपुर द्वारा स्थगन दिये जाने पर पंचम अपर जिला न्यायाधीश, इन्दौर के समक्ष विविध अपील कमांक 17/14 आदेश दिनांक 30–8–2014 में व्यवहार न्यायाधीश, देपालपुर का आदेश निरस्त करते हुए आवेदक की अपील स्वीकार की गई है, जिसकी जानकारी आवेदक द्वारा अधीनस्थ अपर आयुक्त को दी गई थी, किन्तु उनके द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह निरस्ती योग्य है ।

(4) अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में व्यवहार न्यायालय के अनुसार निर्णय होने पर राजस्व न्यायालय को कार्यवाही करने बावत उल्लेखित किया है, जबकि अधीनस्थ अपर आयुक्त को मात्र यह देखना था कि अनावेदिका कमांक 1 का नामांतरण आदेश विधिवत था या नहीं । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि अनुसार विधि का पालन करते हुए सुनवाई की या नहीं, इन सब विधि के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्ती योग्य है ।

(5) संहिता में हुए संशोधन के अनुसार अपील न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत की जा सकती है । अधीनस्थ अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में संहिता की धारा 48 के संबंध में निष्कर्ष दिये गये हैं कि बिना प्रमाणित प्रतिलिपि के अपील सुनवाई योग्य नहीं है । वरिष्ठ न्यायालय के अधीनस्थ ही रिकार्ड उपलब्ध होता है, और यदि पक्षकार को प्रति किसी कारणवश प्राप्त नहीं होती है, तो भी वरिष्ठ न्यायालय बिना अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड का अवलोकन किये आदेश पारित नहीं करते हैं, किन्तु सदर प्रकरण में तहसीलदार द्वारा पारित प्रमाणीकरण पंजी आदेश अस्तित्व में ही नहीं है, ऐसी स्थिति में अपील न्यायालय के समक्ष भी अनावेदिका कमांक 1 अपने नामांतरण जिस दस्तावेजों के आधार पर हुआ था, प्रस्तुत कर सकते थे । इन सभी प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों व विधि के सिद्धांतों के विपरीत जाकर अधीनस्थ अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित किया गया है, जो कि निरस्ती योग्य है व निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है ।

तर्कों के समर्थन में 2004 आर.एन. 289, 2004 आर.एन. 279, 1996 आर.एन. 351, 2009 आर.एन. 155, 2012 आर.एन. 54 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत तहसील न्यायालय के आदेश की प्रति की मांग की थी, परन्तु प्रकरण गुम होने के कारण आदेश की प्रति प्राप्त नहीं हो सकी । इस आधार पर कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी को मूल प्रकरण प्राप्त नहीं होने पर द्वितीय दस्तावेज से तहसील न्यायालय का प्रकरण तैयार कर आदेश पारित करना चाहिए था, परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय में विक्रय निष्पादन संबंधी प्रकरण लंबित रहने संबंधी आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, अतः व्यवहार न्यायालय में प्रकरण लंबित रहने संबंधी तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा सहमति के आधार पर विधिवत प्रकिया अपनाई जाकर आदेश पारित किया गया है, जो कि उचित आदेश है । इस आधार पर कहा गया कि सहमति के आधार पर पारित आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है ।

तर्को के समर्थन में 2013 आर.एन. 118 एवं 104 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निर्विवादित है कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक कमांक 2 गोवर्धन से दिनांक 26–6–1984 को क्रय की गई है, परन्तु उसके द्वारा रजिस्ट्री नहीं किये जाने के कारण आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया । जिला न्यायाधीश इन्दौर के न्यायालय में द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा वाद कमांक 45 ए/88 में दिनांक 22–6–1990 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि का आवेदक को भूमिस्वामी घोषित किया गया । साथ ही प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक के आधिपत्य में हस्तक्षेप नहीं किये जाने के निर्देश भी दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में संलग्न खसरा पांचसाला से स्पष्ट है कि नामांतरण पंजी कमांक 40/91–92 पर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–5–1992 के आधार पर अनावेदक कमांक 2 गोवर्धन सिंह के स्थान पर अनावेदक कमांक 1 का नामांतरण स्वीकृत किया गया, परन्तु उक्त आदेश न तो अभिलेख में उपलब्ध है और न ही रिकार्ड शाखा में उपलब्ध है, इससे ऐसा परिलक्षित होता है कि राजस्व अभिलेखों में फर्जी नामांतरण आदेश से प्रविष्टि की गई

है, क्योंकि उक्त प्रविष्टि पूर्णतः व्यवहार न्यायालय के आदेश के विपरीत है, जबकि व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है । यदि कुछ समय के लिए यह मान भी लिया जाये कि तहसीलदार द्वारा कथित नामांतरण प्रकरण कमांक 40/91–92 में दिनांक 2–5–1992 को नामांतरण आदेश पारित किया गया है, तब भी तहसीलदार द्वारा नामांतरण आदेश पारित करने में न तो हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना दी गई है और न ही उद्घोषणा का विधिवत प्रकाशन किया गया है । इसके अतिरिक्त प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक कमांक 2 गोवर्धन सिंह का ही कोई स्वत्व नहीं रह गया था, तब उसके स्थान पर अनावेदिका कमांक 1 सौरमबाई का नामांतरण कैसे किया जा सकता है, क्योंकि जब गोर्वधन सिंह को ही स्वत्व प्राप्त नहीं थे, तब अनावेदिका कमांक 1 को स्वत्व प्राप्त होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है । अनावेदिका कमांक 1 की ओर से अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के समक्ष इस आशय का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर उसे स्वत्व किस प्रकार से और किस दस्तावेज से प्राप्त हुए हैं, जबकि संहिता की धारा 109/110 के अन्तर्गत बने नामांतरण नियमों के नियम 32 के अन्तर्गत स्वत्व के आधार पर ही नामांतरण किए जाने का प्रावधान है । अपर आयुक्त के समक्ष अनावेदिका कमांक 1 की ओर से यह आधार लेते हुए कि प्रश्नाधीन भूमि के विकय का सौदा आवेदक द्वारा अंतर सिंह से किया जाकर सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर लिया गया है, अपंजीकृत पावती की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है । प्रथमतः उक्त पावती के आधार पर अनावेदिका कमांक 1 को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं । द्वितीय यदि भूमि का सौदा अंतर सिंह के पक्ष में किया गया है, तब भी अनावेदिका कमांक 1 सौरमबाई के पक्ष में नामांतरण नहीं किया जा सकता है । यहां यह भी विचारणीय प्रश्न है कि पावती में बनेसिंह द्वारा भूमि विकय करने का उल्लेख है, जबकि नामांतरण गोवर्धन सिंह के स्थान पर किया गया है । उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि प्रथमतः अनावेदिका कमांक 1 के पक्ष में कोई नामांतरण आदेश पारित ही नहीं हुआ है और राजस्व अभिलेखों में फर्जी तौर से प्रविष्टि की गई है । द्वितीय यदि कथित नामांतरण आदेश दिनांक 2–5–1992 तहसीलदार द्वारा पारित किया गया है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर क्षेत्राधिकार रहित आदेश है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन में प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक

का नाम राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद का आदेश देने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है । जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है, अपर आयुक्त द्वारा इस आधार पर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक द्वारा लगभग 22 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की गई है, जो कि अवधि बाह्य थी और आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष तहसीलदार के आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई है, जो कि संहिता की धारा 48 का स्पष्ट उल्लंघन है एवं उभय पक्ष के मध्य व्यवहार वाद प्रचलित है, जिसका अंतिम निराकरण होना शेष है, और व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है । अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष पूर्णतः विधि विपरीत होकर अवैधानिक है, कारण जब तहसीलदार का प्रकरण ही उपलब्ध नहीं है, तब सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की जाना संभव नहीं है । इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 14–2–2013 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदक की ओर से विलम्ब माफी संबंधी प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है, और उक्त आदेश को वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती नहीं दिये जाने के कारण वह अंतिम हो गया है । इस संबंध में 2005 आर.एन. 355 अवधनारायण तथा एक अन्य विरूद्ध मुन्नीबाई में इस आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि नामांतरण के मामले में 20 वर्ष पश्चात प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । विलम्ब माफ किया गया तथा ऐसा आदेश अंतिमता को प्राप्त हो गया तब पश्चातवर्ती कार्यवाही में गुणागुण पर आक्षेप नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार 2004 आर.एन. 279 राधेलाल जैन विरूद्ध जगदीश प्रसाद तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

> ''परिसीमा अधिनियम, 1963–धारा–5 अपील फाईल करने में विलंब माफ किया गया–यदि ऐसा आदेश आक्षेपित नहीं किया जाता है–अंतिम हो जाता है ।''

अतः उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किये गये विलम्ब क्षमा में हस्तक्षेप करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । इसके अतिरिक्त जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि तहसीलदार द्वारा पारित कथित नामांतरण आदेश में आवेदक को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी जाकर उसकी अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया है । इस संबंध में 1993 आर.एन. 183

किशनलाल तथा एक अन्य विरूद्ध रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां म0प्र0 भोपाल तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:–

> ''परिसीमा–आरंभ होने का बिन्दु–प्रभावित पक्षकार को सूचना नहीं दी गई और उसकी अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया–वाक्य ''आदेश की तारीख''– अर्थ–''आदेश की जानकारी की तारीख'' के रूप में अर्थान्वयन करना और पढ़ना होगा ।''

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में भी अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है । ऊपर किये गये विश्लेषण से यह भी स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा पारित कथित नामांतरण आदेश पूर्णतः अधिकारिता रहित होकर अवैधानिक है । इस संबंध में 1994 आर. एन. 273 आध्यात्मिक साधना एवं शिक्षण केंद्र ग्वालियर विरूद्ध अलबेल सिंह तथा अन्य में इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

> ''परिसीमा अधिनियम, 1963–धारा 5–समय वर्जित अपील–आक्षेपित आदेश अधिकारिता रहित–परिसीमा का प्रश्न उद्भूत नहीं होता ।''

इसी प्रकार 2008 आर.एन. 243 बुद्धेलाल साहू विरूद्ध हरदास तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

> ''परिसीमा अधिनियम, 1963–धारा 5–अपील फाईल करने में 10 वर्ष की माफी–स्वयं का समाधान करना संबंधित प्राधिकारी पर है–सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।''

माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांतों के प्रकाश में अपर आयुक्त द्वारा समय–सीमा के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । जहां तक व्यवहार न्यायालय में वाद प्रचलित होने सम्बन्धी अपर आयुक्त के निष्कर्ष का प्रश्न है, वर्तमान में व्यवहार न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश का पालन करना चाहिए भविष्य के निर्णय को आधार बनाना उचित नहीं है । इस प्रकार अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–10–2014 निरस्त किया जाता है एवं अनुविभागीय अधिकारी, देपालपुर जिला इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–3–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर